न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया (RAS)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 85 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.भाकरराम पुत्र रतनाराम जी 02.बीरमराम पुत्र रतनाराम जी 03.सुखाराम पुत्र रतनाराम जी 04.हरजीराम पुत्र रतनाराम जी जाति पटेल निवासी गांव डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर।		01.भाखरराम पुत्र आसूराम जी जाति पटेल निवासी गाव डोली तहसील झंवर जिला जोधपुर। 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

उपस्थिति –

01.प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति उपस्थितं

02.अप्रार्थी सूचना के बावजूद उपस्थित नही।

दिनांक :– 10/6/2024

आदेश

प्रार्थीगण ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि प्रार्थी गण की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 278 रकबा 2.8085 बारानी प्रथम हैक्टर वाके ग्राम डोली आर,आई,क्षेत्र बोरानाडा तहसील झवर मे आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज है। अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 275 रकबा 1.1817 हैक्टर ग्राम डोली तहसील झवर मे आई हुई है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 278 की उतरी दिशा मे अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 275 की कृषि भूमि आई हुई है। तथा खसरा नम्बर 275 की उतरी दिशा मे रास्ता आया हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 278 ग्राम डोली के लिए भी रास्ता एव वैकल्पिक साधन एव मार्ग नही है जिस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर काश्त से अत्यधिक कठिनाई एव परेशानी होती है प्रार्थीगण सदैव ही खसरा नम्बर 275 की पूर्वी माठ के सहारे सहारे अपनी भूमि मे आता जाता है परन्तु कोई रास्ता नही है इस कारण अनावश्यक विवाद अप्रार्थी द्वारा किया जाता है इस कारण प्रार्थी गण को नवीन रास्ता जो खसरा नम्बर 275 की भूमि मे से उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा खसरा नम्बर 278 की भूमि के लिए अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 275 मे से ही लधुतम एव निकटतम मार्ग है जो प्रार्थी गण को 30 फुट चोडाई का नवीन रास्ता उपलब्ध करवाया जाना कानूनी लाजमी है जिसके लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया। इन तमाम परिस्थितियों मे प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है। इसलिए माननीय न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को कार्यालय समय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये सुचना होने के बाजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नही कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर बहस सुनी गई तहसीलदार झंवर द्वारा मौका रिपोर्ट तलब की गयी जो शामिल मिसल हैं। तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का समर्थन करती हैं ।

पत्रावली मे बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया । मौका फर्द दिनांक 14.02.2023 के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते का खसरा संख्या 278 मे जाने के लिए खसरा संख्या 275 मे से चौडाई 20 फीट का रास्ता जो कि प्रार्थीगण को उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

ऐसी स्थिति मे धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट प्रावधान है कि किसी खातेदार की जोत मे पहुचने का कोई रास्ता न हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव होने एव रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर लधुतम एव निकटतम मार्ग उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान है। उक्त प्रकरण मे प्रार्थी के अभिवचन /बहस एव तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः–प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि मौका फर्द दिनांक 14.02.2023 मे वर्णित प्रस्तावित रास्ता जो खसरा नम्बर 275 राजस्व ग्राम डोली के रूप मे दर्शित किया है उसे 20 फुट रास्ते के रूप मे राजस्व रेकर्ड एव नक्शे मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप मे दर्ज कर मौके पर कायम करे एवं प्रार्थीगण उक्त रास्ते की प्रतिफल की राशि जो मौका फर्द दिनाक 14.02.2023 मे अंकित है वह प्रार्थीगण द्वारा प्रतिफल राशि के चैक अथवा डी,डी बनाकर तहसीलदार झंवर के समक्ष प्रस्तुत करे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी की जावे। एवम् मौका फर्द दिनांक 14.02.2023 इस आदेश का अभिन्न अंग समझी जावेंगी । आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी